बिहार सरकार,
शिक्षा विभाग,

अधिसूचना संख्या–7/विविध–77/2012/......1649   पटना, दिनाक 31/10/2013

भारत संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल "**बिहार राजकीयकृत प्रारम्भिक विद्यालय शिक्षक प्रोन्नति नियामावली 2011**" में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियामावली बनाते हैं :–

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं आरंभ :– 1. यह नियामावली " बिहार राजकीयकृत प्रारंभिक विद्यालय शिक्षक प्रोन्नति (संशोधन) नियमावली, 2013 कही जा सकेगी।
   2. इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।
   3. यह तुरंत प्रवृत्त होगी।
2. उक्त नियामावली, 2011 के नियम 2 में संशोधनः– (1) उक्त निमावली 2011 के नियम 2 के उपनियम (V) में निम्नलिखित एक परन्तुक जोड़ा जाएगा :–

"परन्तु मैट्रिक/इन्टरमीडिएट प्रशिक्षित वेतनमान में उर्दू शिक्षक के पद पर सम्यक् रूप से नियुक्त शिक्षक के लिए, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा बिहार मदरसा शिक्षा बोर्ड द्वारा प्रदत्त "**आलिम**" की डिग्री तथा मैट्रिक/इन्टरमीडिएट प्रशिक्षित वेतनमान में संस्कृत शिक्षक के पद पर सम्यक् रूप से नियुक्त शिक्षक के लिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त "शास्त्री" की डिग्री को स्नातक योग्यता के समकक्ष माना जायेगा।

(2) उक्त नियमावली 2011के नियम 2 के उप नियम (vi)में निम्नलिखित एक परन्तुक जोडा जाएगा :–

"परन्तु मैट्रिक/इन्टरमीडिएट प्रशिक्षित वेतनमान में उर्दू शिक्षक के पद पर सम्यक् रूप से नियुक्त एवं स्नातक (**कला**) प्रशिक्षित वेतनमान मे सम्यक् रूप से प्रोन्नत शिक्षक के लिए, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा बिहार मदरसा शिक्षा बोर्ड द्वारा प्रदत्त "**फाजिल**" की डिग्री एवं मैट्रिक/इन्टरमीडिएट प्रशिक्षित वेतनमान में संस्कृत शिक्षक पद पर सम्यक् रूप से नियुक्त एवं स्नातक (कला) प्रशिक्षित वेतनमान में सम्यक् रूप से प्रोन्नत शिक्षक के लिए, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त "**आचार्य**" की डिग्री को स्नातकोत्तर के समकक्ष माना जायेगा।"

3. उक्त नियमावली, 2011 में एक नया नियम 17 "क" का अंतःस्थापन :–

उक्त नियमावली, 2011 के नियम 17 के बाद निम्नलिखित एक नया नियम 17 "क" अंतःस्थापित किया जायेगा : –

"17 क कठिनाईयों का निराकरणः– इस नियमावली के प्रावधानों को लागू करने में उत्पन्न कठिनाईयों का निराकरण अधिसूचना/आदेश द्वारा करने हेतु शक्ति राज्य सरकार (शिक्षा विभाग) को होगी।"

बिहार राज्यपाल के आदेश से

(हस्ताक्षर) 30/10/13

(सत्यनारायण)

संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–7/विविध–77/2012/ 1649 दिनांक :–31/10/013/

प्रतिलिपि : सभी विभागीय प्रधान सचिव/सभी विभागीय सचिव/महालेखाकार,बिहार, पटना/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त /निदेशक, प्राथमिक शिक्षा/निदेशक,माध्यमिक शिक्षा/सभी जिला पदाधिकारी/सभी उप विकास आयुक्त/सभी क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक/सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी/सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी,जिला शिक्षा पदाधिकारी/सभी कोषागार पदाधिकारी/उप कोषागार पदाधिकारी/जिला लेखा पदाधिकारी/सभी प्रखण्ड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(हस्ताक्षर) 30/10/13

संयुक्त सचिव।

BIHAR GOVERNMENT

Education Department

Notification No 7/Vividh -77/2012/... 1649 Patna, Dated 31/10/013

In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Bihar is pleased to make the following Rules to amend the "Bihar Taken Over Elementary School Teachers' Promotion Rule 2011" :-

1. Short title, extent and commencement:- (i) These Rules may be called The Bihar Taken Over Elementary School Teachers' Promotion (Amendment) Rules, 2013.

(ii) It shall extend to the whole of the state of Bihar.

(iii) It shall come into force at once.

2. Amendment in Rule 2 of The said Rules, 2011 :-

(1) The following proviso will be added to sub rule (v) of Rule 2 of the said Rules, 2011:-

"Provided that for the teacher duly appointed to the post of Urdu teacher in the Matric/Intermediate trained scale, the degree of "Alim" conferred by a Recognised University or The Bihar Madarsa Education Board and for the teacher duly appointed to the post of Sanskrit teacher in the Matric/Intermediate trained scale, the degree of "Shastri" qualification conferred by a Recognised University will be deamed to be equivalent to graduate qualification.

(2) The following proviso will be added to sub rule (v) of Rule 2 of the said Rules 2011:-

"Provided that for teacher duly appointed to the post of Urdu teacher in the Matric/Intermediate trained scale and duly promoted to graduate trained scale, the degree of "Fazil" conferred by a Recognised University or The Bihar Madarsa Education Board and for the teacher duly

appointed to the post of Sanskrit teacher in the Matric/Intermediate trained scale and promoted to graduate trained scale, the degree of "Acharya" conferred by a Recognised University will be deemed to be equivalent to post-graduate."

3. Insertion of a new Rule 17 A in the said Rules, 2011 :- The following new Rule 17 A shall be inserted after Rule 17 of the said Rules, 2011.

" 17 A Removal of difficulties :- The State Government (Education Department) shall have power to remove the difficulties in the implementation of the provisions of this Rule by issue of notification/order. "

By order of the Governor of Bihar

Narain 30/10/13

(Satyanarayan)

Joint Secretary.

Memo No- 7/Vividh -77/2012...1649 Patna, Dated 31/10/2013

Copy to :- Principal Secretary of all department/Secretary of all Department/Accountant General of Bihar/All Divisional Commissioner/Director, Primary Education/Director, Secondary Education/All District Magistrate/All Deputy Development Commissioner/All Regional Deputy Director of Education/All District Education officer/All District programme officer/All Treasury officer/All Sub-Treasury officer/All District Accounts officer and All Block Education officer for information & needful.

Narain 30/10/13

Joint Secretary.